

वीमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ऐडवोकेसी सर्विसेज

(महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ
न्यायालय में पक्ष-समर्थन सेवा)



**सहायता चाहिए? हम आपकी सेवा के लिए
उपलब्ध हैं!**

घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के बारे में जानकारी
और न्यायालय में सहायता



© Legal Aid Commission of NSW 2023

यह प्रकाशन कानून के विषय में एक सामान्य मार्गदर्शिका है। आपको इस पर कानूनी सलाह के रूप में निर्भर नहीं होना चाहिए, और हमारी अनुशंसा है कि अपनी परिस्थिति के सम्बंध में आप किसी वकील से बात करें। मुद्रण (प्रिंटिंग) के समय यह सूचना सही है किंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है।

और अधिक जानकारी के लिए फोन करें: **1800 WDV CAS (1800 938 227)**।

ऑनलाइन ब्रोशर (पुस्तिका) का ऑर्डर यहां करें:

www.legalaid.nsw.gov.au/ways-to-get-help/publications-and-resources

Languages

This brochure is available in Arabic, Bengali, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Dari/Farsi, English, Fijian, Hindi, Indonesian, Korean, Punjabi, Samoan, Spanish, Tagalog, Thai, Tongan, Vietnamese.

क्या आपको दुभाषिए की जरूरत है?



यदि आपकी अपनी भाषा में हमसे बात करने के लिए आपको सहायता चाहिए तो 131 450 पर (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) ट्रांसलेटिंग ऐंड इंटरप्रेटिंग सर्विस (TIS) को फोन करें।

क्या आपको सुनने या बोलने में दिक्कत होती है?



यदि आप सुनने में सक्षम नहीं हैं या बोल पाने में असमर्थ अथवा श्रवण-बाधित हैं तो कृपया www.accesshub.gov.au/about-the-nrs नेशनल रिले सर्विस (NRS) के माध्यम से हमसे सम्पर्क करें।

लीगल ऐड NSW द्वारा वित्तपोषित।

हमारा परिचय

वीमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ऐडवोकेसी सर्विसेज (WDVCAS) घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा (DFV) के सम्बंध में सूचना एवं सहायता तथा न्यायालय से संरक्षण कैसे प्राप्त हो इसकी तलाश कर रही महिलाओं तथा उनके बच्चों के लिए स्थानीय, समुदाय-आधारित सेवाएं हैं।

ये सेवाएं लीगल ऐड NSW द्वारा वित्तपोषित हैं।

न्यायालय-पूर्व

यदि आपका घरेलू हिंसा का कोई ऐसा मामला है जो न्यायालय में जा रहा है तो WDVCAS आपको आवश्यक जानकारियां दे सकता है। वे आपको मदद के लिए अन्य एजेंसियों और सेवाओं के पास भी रेफर कर सकते हैं।

न्यायालय में

WDVCAS यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय में आपके बैठने के लिए एक सुरक्षित स्थान हो, जो भी हो रहा है उसके बारे में वह सूचित करेगा और आपकी स्थिति के लिए सर्वोत्तम परिणाम हासिल करने में आपकी सहायता करेगा। न्यायालय की अगली तिथियों सहित वे आपको अपने मुकदमे के बारे में नवीनतम जानकारी भी देंगे।

न्यायालय के बाद

WDVCAS आपको ऐसी अन्य सेवाओं के पास रेफर कर सकता है जो आपको आवास, आय सम्बंधी सहायता, बच्चों की जरूरतों, पारिवारिक न्याय और परामर्श में सहायता दे सकती हैं। वे आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि यदि शोषण जारी रहे तो क्या करना चाहिए।

WDVCAS की सेवाएं सभी महिलाओं के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हैं। हमारे पास सांस्कृतिक एवं भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कर्मचारी हैं जो आपको सहायता दे सकते हैं।



ऐप्रिहेंडेड वायलेंस ऑर्डर्स (आशंकित हिंसा आदेश) के बारे में

AVO क्या होता है?

AVO एक ऐप्रिहेंडेड वायलेंस ऑर्डर है। यह उस स्थिति में घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के बचाव के लिए दिया गया आदेश होता है जब उन्हें अपनी सुरक्षा का भय होता है। इन आदेशों को कई बार निरोधक आज्ञा या सुरक्षा आदेश भी कहा जाता है।

दो प्रकार के AVO होते हैं:

ऐप्रिहेंडेड डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर (ADVO)। यह आदेश तब दिया जाता है जब शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से सम्बंधित हों या रिश्ते में हों।

ऐप्रिहेंडेड पर्सनल वायलेंस ऑर्डर (APVO)। यह आदेश तब दिया जाता है जब शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से सम्बंधित नहीं हों और उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो, उदाहरण के लिए, वे पड़ोसी हों या साथ काम करते हों।

AVO कोई आपराधिक आरोप नहीं है। यह भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए एक आदेश है। AVO के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की सीमाएं तय की जाती हैं, ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सकें। यदि आपके बच्चे हैं तो इस आदेश से उनकी भी सुरक्षा होगी।

मैं AVO के लिए आवेदन कैसे करूँ?

AVO के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं। आप अपने स्थानीय न्यायालय में प्राइवेट आवेदन दे सकती हैं, या पुलिस आपके लिए आवेदन कर सकती है। प्राइवेट और पुलिस आवेदन दोनों के लिए WDVCSs सूचना उपलब्ध करा सकते हैं और यदि आपके लिए आवश्यक हो तो कानूनी सलाह प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है।

WDVCAS न्यायालय में चलने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करेगा। आपके AVO की शर्तें आपकी जरूरतों के अनुरूप हों यह सुनिश्चित करने के लिए वे आपके, पुलिस, या आपके वकील के साथ मिलकर काम करेंगे। यदि दूसरे व्यक्ति पर पुलिस ने कोई आपराधिक आरोप लगाया है तो आपकी सहायता के लिए सूचनाएं भी दी जा सकती हैं।

क्या मुझे न्यायालय जाने की जरूरत पड़ेगी?

जी हां, न्यायालय जाना आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आपके मुकदमे के बारे में न्यायालय के पास ज्यादा से ज्यादा नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो और उन्हें पता हो कि अपनी स्थिति के बारे में आप क्या करना चाहती हैं। आपकी सहायता के लिए, WDVCS के कर्मचारी न्यायालय में आपके साथ रहेंगे। वे आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है और आपकी निरंतर जरूरतों के बारे में और अधिक जानकारी मुहैया कराएंगे।

मैं अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती हूं। क्या वीमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ऐडवोकेसी सर्विस मेरी मदद कर सकता है?

जी हां। आप तब भी AVO के लिए आवेदन दे सकती हैं जो आपकी रक्षा करता है लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ रहने की इजाजत देता है। ऐसी अनेक शर्तें हैं जिन्हें आदेश में शामिल किया जा सकता है ताकि वह आपकी स्थिति के उपयुक्त हो और उनके बारे में WDVCS आपसे विचार-विमर्श करेगा।

यदि आदेश आपके पास पहले से ही प्राप्त है लेकिन आपकी परिस्थिति बदल गई है तो अपने AVO को बदलने के लिए आप WDVCS से बात कर सकती हैं।

यदि मुझे AVO नहीं चाहिए तो क्या होगा?

अगर आपको लगता है कि समस्याओं का निवारण हो गया है तो भी आवेदन वापस लेने से पहले सलाह ले लेना बेहतर रहेगा।

ध्यान रहे कि यह कोई आपराधिक आरोप नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको और आपके बच्चों को भविष्य में हिंसा और शोषण से सुरक्षित रखना है। AVO के आवेदन के बारे में WDVCS आपको जानकारी दे सकता है और आपकी किन्हीं भी चिंताओं के बारे में विचार-विमर्श कर सकता है।

यदि AVO के लिए आवेदन पुलिस द्वारा किया गया है तो आप आवेदन वापस नहीं ले सकेंगी, खास तौर पर तब जबकि उसमें बच्चे भी शामिल हों, या पुलिस यह मानती हो कि कोई अपराध किया गया है या किए जाने की संभावना है।

WDVCS इसके बारे में आगे विस्तार से समझा सकता है।



यदि प्रतिवादी AVO की किन्हीं भी शर्तों को भंग करता है (AVO का उल्लंघन करता है) तो क्या होगा?

किसी भी आपात्कालीन स्थिति में, '000' को फोन करें और पुलिस की सहायता मांगें।

AVO का उल्लंघन एक आपराधिक मामला है। AVO के किसी भी उल्लंघन के बारे में आपको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस जांच-पड़ताल करेगी और तय करेगी कि AVO को भंग करने के लिए प्रतिवादी पर आरोप लगाया जाए या नहीं।

न्यायालय में AVO दिए जाने के बाद क्या होता है?

यदि न्यायालय में AVO दिया गया है तो महत्वपूर्ण है कि आप उसकी एक प्रतिलिपि हासिल कर लें। इस बारे में कृपया WDVCS से चर्चा करें।

AVO की अनेक प्रतिलिपियां बना लें और एक प्रति हमेशा अपने पास रखें। आप चाहें तो एक प्रति बच्चों के स्कूल में दे सकती हैं, एक प्रति अपनी कार में, काम की जगह और घर में रख सकती हैं।

यदि आपको आगे और कोई जानकारी या सहायता चाहिए तो WDVCS को फोन करें। अपने निकटतम WDVCS का पता लगाने के लिए **1800 WDVCS (1800 938 227)** पर फोन करें।

न्यायालय में प्रयुक्त सामान्य शब्दावली एवं शब्द

सहमति

कई बार प्रतिवादी अपने खिलाफ दिए गए AVO से सहमत हो सकता है। ऐसा होने पर, बाद की किसी तारीख पर मुकदमे की सुनवाई की जरूरत नहीं होती। प्रतिवादी 'बिना स्वीकारोक्ति के' सहमत हो सकता है जिसका अर्थ यह है कि वह AVO पर सहमत है लेकिन AVO आवेदन में दी गई सूचनाओं से सहमत नहीं है।

न्यायालयीन सूची

यह न्यायालय द्वारा रोज सुनवाई किए जा रहे मुकदमों की सूची है। कुछ न्यायालयों में AVO सूची दिवस होता है ताकि प्रति सप्ताह ज्यादातर AVO मामलों की एक ही दिन सुनवाई की जा सके।

क्रॉस-आवेदन

कई बार AVO मुकदमे में उल्लेखित प्रतिवादी संरक्षित व्यक्ति के खिलाफ AVO का आवेदन दे सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो सहायता के लिए तुरन्त अपने स्थानीय WDVCAS से सम्पर्क करें या कानूनी सलाह हासिल करें।

प्रतिवादी

वह व्यक्ति जिसके खिलाफ AVO दिया गया है।

अंतिम आदेश

न्यायालय की कार्यवाहियों के अंत में दिया गया आदेश। यह तबतक जारी रहता है जबतक न्यायालय को लगता है कि आपको उसकी जरूरत है। AVO की आदर्श अवधि दो वर्षों की होती है। जबतक आपको आदेश की शर्तों में परिवर्तन करने या AVO को विस्तारित करने की जरूरत नहीं होती तबतक आपको वापस न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है।



अंतरिम आदेश

वह आदेश जो न्यायालय की अगली तारीख तक कायम रहता है।

मजिस्ट्रेट

मजिस्ट्रेट न्यायालय का संचालन करते हैं और यह तय करते हैं कि AVO दिया जाए या नहीं, किन शर्तों को शामिल किया जाए और कब तक के लिए। न्यायालय में उन्हें 'योर ऑनर' कहा जाता है।

उल्लेख

यह वह तिथि है जब आपका मुकदमा न्यायालय में पेश होता है। यदि प्रतिवादी AVO पर सहमत नहीं होता तो वह किसी और दिन सुनवाई पर चला जाएगा। आपको हर उल्लिखित तिथि पर न्यायालय पहुंचने का प्रयास करना चाहिए (एक से अधिक उल्लिखित तिथियां हो सकती हैं)। यदि आप नहीं जा सकती हैं तो उन्हें यह सूचित करने के लिए WDVCAS को फोन करें।

पुलिस अभियोजक

पुलिस अभियोजक पुलिस की ओर से न्यायालय को उसी तरह सूचना देते हैं जैसे प्राइवेट आवेदकों की ओर से वकील।

प्राइवेट आवेदन

ये AVO के लिए उस व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन होते हैं जिसे सुरक्षा की जरूरत है। आप स्वयं स्थानीय न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं या किसी वकील के माध्यम से। वकील तलाशने में WDVCAS आपकी सहायता कर सकता है।

संरक्षित व्यक्ति

वह व्यक्ति जिसकी सुरक्षा के लिए AVO दिया गया है।

तत्कालिक आदेश (PO)

न्यायालय की तारीख तक आपकी आपातकालिक हिफाजत के लिए पुलिस द्वारा आवेदन किया गया अस्थायी आदेश।

उपयोगी रेफरल

NSW पुलिस फोर्स

घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के विषय में आपात्कालीन सहायता

000 या मोबाइल्स से **112**

वीमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट ऐडवोकेसी सर्विस

घरेलू हिंसा की स्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए सूचना, न्यायालय में पक्ष-समर्थन और रेफरल तथा ADVO प्राप्त करने में सहायता।

1800 WDVCS या **1800 938 227**

1800 RESPECT

परामर्श, सूचना, और रेफरल (24 घंटे, 7 दिन)

1800 RESPECT या **1800 737 732**

घरेलू हिंसा लाइन NSW, समुदाय एवं न्याय विभाग

आपातकालीन आवासीय सुविधा सह सहायता और परामर्श, स्वास्थ्य, एवं कानूनी सेवाओं के लिए रेफरल (24 घंटे, 7 दिन)

1800 656 463

घरेलू हिंसा इकाई, लीगल ऐड NSW

घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों के लिए कानूनी परामर्श, सहायता, रेफरल एवं प्रतिनिधित्व के साथ ही सामाजिक कार्य सहायता

1800 979 529

वीमेन्स लीगल सर्विस NSW - DV लीगल ऐडवाइस लाइन

न्यू साउथ वेल्स में रहने वाली महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा एवं ऐप्रिहेंडेड डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर्स पर फोकस के साथ निःशुल्क एवं गोपनीय कानूनी सूचना, सलाह, और रेफरल।

(02) 8745 6999 या **1800 810 784**



पीड़ितों के लिए सेवाएं

अपराध-पीड़ितों के लिए समर्थन एवं सहायता

1800 633 063, 1800 019 123 (आदिवासी [एबोरिजनल] सम्पर्क लाइन)

लाइफलाइन

राष्ट्रीय आपदा एवं आत्महत्या रोकथाम टेलिफोन परामर्श (24 घंटे, 7 दिन)

13 11 14

Link2Home

पूरे NSW में बेघरों के लिए सेवाओं का रेफरल (24 घंटे, 7 दिन)

1800 152 152

LawAccess NSW

लीगल ऐड NSW द्वारा संचालित निःशुल्क सूचना सेवा। यह NSW में कानूनी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को कानूनी सूचना एवं रेफरल उपलब्ध कराता है। वेबसाइट पर वेब चैट सेवा का लाभ उठाएं या **1300 888 529** पर फोन करें (सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार – सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर)।

www.legalaid.nsw.gov.au

मेन्सलाइन ऑस्ट्रेलिया

पीड़ित पुरुषों और घरेलू हिंसा के मुजरिमों के लिए फोन पर सहायता और रेफरल

1300 789 978

मेन्स बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स (पुरुषों के लिए व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम) NSW

मेन्स बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स (MBCP) ऐसे पुरुषों के साथ काम करता है जो अपने एक्स-पार्टनर्स और उनके बच्चों के साथ हिंसा और शोषण का प्रयोग करते हैं। मान्यता-प्राप्त सेवा-प्रदाताओं की सूची देखने के लिए, कम्युनिटीज ऐंड जस्टिस (समुदाय एवं न्याय) वेबसाइट देखें:

www.dcj.nsw.gov.au

LGBTIQ स्पेशलिस्ट सर्विसेज

ACON

न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले LGBTIQ लोगों को DFV सहित सूचना, रेफरल, परामर्श, पक्ष-समर्थन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करने वाली LGBTIQ स्वास्थ्य संस्था।

(02) 9206 2000

www.acon.org.au

इनर सिटी लीगल सेंटर

समलैंगिक (गे/लेस्बियन) या उभयलिंगी (बाइसेक्सुअल) लोगों; ट्रांसजेंडर लोगों; और इंटरसेक्स लोगों तथा जिन्हें शोषण पर आधारित सम्बंध का अनुभव या उससे पलायन करना पड़ रहा है उन्हें न्यायालयीन सहायता एवं अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान करता है।

1800 244 481

www.iclc.org.au



